FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana   **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram   **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0025   **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 03/08/2026 15:57 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days   **Date from (दिनांक से):** 01/01/2007   **Date To (दिनांक तक):** 01/01/2008

Time Period (समय अवधि):   **Time From (समय से):** 00:00 hrs   **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):**   **Date (दिनांक):** 03/08/2026   **Time (समय):** 14:55 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**   **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 015   **Date and Time (दिनांक और समय):** 03/08/2026 15:01 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 5 Km(s)   **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): जिला गुरुग्राम,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

POLICE STATION S.V. & A.C.B. (H.) राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह) गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम Gurugram Range Gurugram

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** omparkash

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 10/01/1979 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	kaithal, KAITHAL SADAR, KAITHAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	kaithal, KAITHAL SADAR, KAITHAL, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9212171515

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्री महेन्द्र सिंह सांगवान तत्कालीन डी०एच०ओ०			1. बागवानी विभाग जिला गुडगांव, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
2	श्री केदारनाथ सिंह तत्कालीन ए०पी०ओ०			1. बागवानी विभाग जिला गुडगांव, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
3	श्री कैलाश चंद क्लर्क व अन्य			1. बागवानी विभाग जिला गुडगांव, GURUGRAM,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

POLICE STATION S.V. & A.C.B. (H)
राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह) गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम
Gurugram Range Gurugram

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम। श्रीमान जी, निवेदन है कि कार्यालय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 66/22/2013-3 चौकसी (II) दिनांक 18.03.2013 की पालना में कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठांकन क्रमांक 5376/आई-5/रा0चौ0ब्यू0 दिनांक 04.04.2013 अनुसार जांच क्रमांक 05 दिनांक 28.03.2013/पंचकूला दर्ज रजिस्टर हुई। जिसमें बागवानी विभाग जिला गुरूग्राम से सम्बन्धित आरोप नं0 1, 16, व 19 में निम्नलिखित आरोप लगाये गये:- आरोप नं0 1:- Expenditure incurred on the establishment of new gardens in the state: - From the year 2007-08 onwards more than 2000 hectares had been brought under the fruit plantation. For this purpose more than five lacs of fruit plants had been purchased from the private nurseries in the state as well as of the other state Dept. In spite of these the other material like Fertilizer, Pesticides had been purchased in the same manner. Package and practices of the state university has been ignored. Only 5-10% plants are surviving in the field of the farmers in the state. Heavy amount has also been spent on their maintenance for the next three years. Huge embezzlement of fund has been made in the implementation of the scheme. vkjksi ua0 16%Huge amount of subsidy embezzled in the implementation of MINOR IRRIGATION scheme (Drip irrigation/sprinkler/micro sprinkler irrigation) in the Dept. since 2007-08 onwards. Rate of the material, quality (ISI) and quantity and present stands in the farmer's field is a matter of investigation. There was 50 to 90 percent subsidy under the scheme big financial froud has been made in the implementation of scheme. आरोप नं0 19:- Purchase of seed pesticides for Horticulture crops are being purchased from 2007-08 onwards without the recommendation of the state Agriculture University Hisar also without considering the climate of the state. Rates of the seeds are too high and increased per year. Purchases are being done from pvt. Sources and not that of govt. Sources causing a loss of crore of Rs. In the state exchequer उपरोक्त आरोपों के बारे अन्तिम जांच रिपोर्ट श्री विजय कुमार नेहरा, ह0पु0से0, उप पुलिस अधीक्षक; भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला द्वारा तैयार की गई। जो अन्तिम जांच रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त आरोपों बारे आरोपवार टिप्पणी रिपोर्ट इस प्रकार से है:- टिप्पणी आरोप नं0 1:- जिला गुरूगांव बारें विभागीय कमेटी द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट पी-11 उपरोक्त अनुसार वर्ष 2009-10 में सोहना, फरूखनगर, पटौदी व गुडगांव के उधान विकास अधिकारियों द्वारा Area extension of Fruit crops under NHM के तहत फलो के पौधे देने बारें लाभार्थी किसानो को चिन्हित किए बगैर ही मीमो न0 406 दिनांक 03.07.2009 के अनुसार 16500 किन्नु पौधो का स्पलाई आर्डर दिया गया व मीमो न0 405 दिनांक 03.07.2009 के अनुसार मै0 ज्ञानो देवी बाग व नर्सरी को 11000 पौधो का स्पलाई आर्डर देकर कुल 6,32,500 रू0 के पौधो का सप्लाई आर्डर जारी किए गए। जबकि वास्तव में यह काम करने से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना, लाभार्थियो की पहचान करना, बाग की ले आउट व गढडो का खोदा जाना जरूरी था ताकि अधिक से अधिक मात्रा में पौधे खेतो में जीवित रह सके। टिप्पणी आरोप नं0 16:- जिला गुरूगांव बारें रिपोर्ट पी-11 अनुसार वर्ष 2009-10 में श्री महेन्द्र सिंह सांगवान डी0एच0ओ0 गुडगांव द्वारा गैर बागवानी फसलो (गेहुं व सरसो) के लिए लाभार्थी किसानो को फव्वारो के लिए कुल 16,62,508 रू0 सब्सिडी के रूप में देकर सरकार को आर्थिक हानि पहुचाई गई व गबन किया गया क्योकि नियमानुसार गैर बागवानी के लिए यह सब्सिडी नही दी जा सकती थी व MI Scheme के तहत सब्सिडी जारी करने के लिए किसी भी उधान विकास अधिकारी द्वारा कोई अनुसषा नही की गई थी व ना ही जांच कमेटी को यह सब्सिडी जारी करने बारे कोई रिकॉर्ड जैसे किसानो के आवेदन पत्र, चैक लिस्ट, बिल, वाउचर सैंक्शन व कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट आदि डी0एच0ओ0 गुडगांव के कार्यालय में नही मिले। इस बारे कमेटी द्वारा Component के तहत मुख्यालय की एम0आई0 ब्रांच द्वारा सम्पुर्ण जांच करवाए जाने का सुझाव दिया परन्तु रिकॉर्ड अनुसार ऐसी कोई जांच करवाई जानी सामने नही आई। जिस कारण डी0एच0ओ0 श्री महेन्द्र सिंह सभी लाभ लेकर दिनांक 30.04.2012 को सेवानिवृत हो गया। जो उपरोक्त अनियमितताओ व गबन बारें कमेटी द्वारा महेन्द्र सिंह डी0एच0ओ0 गुडगांव के साथ साथ उनके कार्यालय के ए0पी0ओ0 श्री केदार नाथ सिंह व क्लर्क हुकम चन्द को भी जिम्मेदार माना है क्योकि यदि यह दोनो कर्मचारी समय पर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सही करते तो इस प्रकार का गबन डी0एच0ओ0 द्वारा किया जाना सम्भव ही नही था। जिला अम्बाला व गुडगांव बारें विभाग के अधिकारियों की जांच कमेटी/ निरीक्षण टीम द्वारा उजागर किए गए उपरोक्त तथ्यों को हुकुम्नो बारें भ्र0नि0ब्यूरो के सम्बन्धित जिला क जांच अधिकारियों की रिपोर्ट, ब्यानो/ दस्तावेजो के आधार पर कोई तथ्य सामने नही आए है। इस आरोप बारें जिला मेवात के सम्बन्ध में पहले ही जांच क्रमांक 01 दिनांक 20.06.2014 की पडताल उपरान्त सरकार के आदेशानुसार अभियोग संख्या 46 दिनांक 03.11.2015 धारा 406,409,420,120-B,467,468,471 भा0द0स0 व 13(1)d PC Act, 1988

थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव दर्ज करके अनुसंधान उपरान्त चालान न्यायालय में दिया जा चुका हैं। टिप्पणी आरोप नं0 19:- जिला गुरूगांव बारें रिपोर्ट पी-11 अनुसार वर्ष 2009-10 में बिना किसी एच0डी0ओ0 की मांग के मिर्च के Expired inputs tricoderma o groinm खरीद कर सम्बन्धित सप्लायर फर्म मै0 चौधर टैडर्स कुरूक्षेत्र के साथ मिलकर विभाग के साथ राषि 3,45,000 रू0 की धोखाधडी की गई। जबकि बागवानी विभाग मुख्यालय द्वारा इनपुटस की खरीद ना करने बारे बार बार आदेष दिए गए थे। उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा जिला गुडगांव के सम्बन्ध में शिकायत के उपरोक्त आरोप नं0 1, 16, 19 सिद्ध होने पाए जाने पर बागवानी विभाग जिला गुडगांव के सम्बन्धित तत्कालीन अधिकारियों/ कर्मचारियों के खिलाफ थाना राज्य चौकसी एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुडगांव मण्डल गुडगांव में धारा 409,420,467,468,471,120-B IPC के तहत अभियोग दर्ज किये जाने व अनुसंधान के दौरान मुख्यालय के अधिकारियों की संलिप्तता देख लिये जाने की संस्तुति की गई। उपरोक्त जांच पूर्ण करके अन्तिम रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतू नियमानुसार कार्यालय-मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को भेजी गई, जिस पर कार्यालय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पृष्ठाकंन क्रमांक 66/22/2013-6 चौ0-II दिनांक 26.06.2026 व कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 13715-19/आई-1/रा0सं0 एंव भ्र0नि0ब्यू0(ह0) दिनांक 14.07.2026 अनुसार तत्कालीन अधिकारी/ कर्मचारी बागवानी विभाग, गुडगांव के विरूद्ध धारा 409,420,467,468,471,120-B IPC के तहत अभियोग दर्ज किये जाने बारे निर्देश प्राप्त हुये है। जिस पर ड्राफट तहरीर तैयार करके इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3908/SVACB/GGM dated 24.07.2026 अनुसार अनुमोदन हेतु कार्यालय पुलिस महानिदेशक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों हरियाणा पंचकुला भेजी गई थी। जो कार्यालय पुलिस महानिदेशक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 15003/SVACB/GGM dated 29.07.2026 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम के डायरी न0 2456 dated 03.08.26 अनुसार अनुमोदन उपरान्त प्राप्त हुई है। लिहाजा बागवानी विभाग जिला गुडगांव के श्री महेन्द्र सिंह सांगवान, तत्कालीन डी0एच0ओ0 श्री केदारनाथ सिंह, तत्कालीन ए0पी0ओ0 श्री कैलाश चंद क्लर्क व अन्य के खिलाफ धारा 409,420,467,468,471,120-B IPC के तहत अभियोग दर्ज करने व अनुसंधान के दौरान मुख्यालय के अधिकारियों की संलिप्तता देख लिये जाने हेतू तहरीर बदस्त ASI वजीर सिंह 1094/JJR के थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम भेजी जा रही है। अभियोग अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट तैयार करके बदस्त स्पेशल वाहक ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारीगण के पास भिजवाई जाये तथा आगामी अनुसंधान हेतु मिशल मुकदमा हवाले निरीक्षक नवीन की जाए। स्थान: राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम। SD/- OMPARKASH INSP. (निरीक्षक औमप्रकाश) राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरों, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम दि0 03.08.26 समय – 2.50 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब नारनौल भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले ASI वजीर सिंह 1094/JJR के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु नि0 जाकिर हुसैन के पास भेजी जा रही है ।

POLICE STATION S.V. & A.C.B. Gurugram Range Gurugram

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** NAVEEN KUMAR **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 00 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर) Om Prakash

Name (नाम): ~~DEVENDER SINGH~~

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 1

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की- दिनांक और समय):

POLICE STATION S.V. & A.C.B. (H)
राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह) गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम
Gurugram Range Gurugram